माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /निगरानी/भू–राजस्व/विदिशा/2018/ ....

किशोरी बाई पुत्री अम्बिका प्रसाद पत्नी अवधनारायण निवासी ग्राम सेखपुर तहसील कुरवई जिला विदिशा

— प्रार्थी

बनाम

राकेश दांगी पुत्र दौलत सिंह दांगी निवासी ग्राम सेखपुर तहसील कुरवई जिला विदिशा

— प्रतिप्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि0 17-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील कुरवई के प्रकरण क. 61अ/12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता में सीमांकन के सम्बन्ध में प्रयोज्य किये जाने वाली विधि एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, प्रार्थी के पिता द्वारा ग्राम सेखपुर तहसील कुरवई में स्थित सर्वे नम्बरान 13/1, 13/3, 16/3, 16/1, 16/2, 16/4 एवं 16/5 का कुल रकवा 6.837 हैक्टेयर में से विक्रेता का हिस्सा 1/3 भाग है को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 15.06.1973 को क्रय किया था ।

(3) यह कि, प्रतिप्रार्थी के द्वारा सीमांकन हेतु सर्वे कमांक 16/4 एवं 16/5 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उसके द्वारा विवादित अन्य सर्वे कमांक जो सीमांकन किये जाने वाले सर्वे नम्बरान से लगे सम्बंधित हैं उनका सीमांकन किया जाना भी आवश्यक था जो वि... प्रतिप्रार्थी के द्वारा नहीं किया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ... विचार न किये जाने के कारण सीमांकन आदेश अपूर्ण होने

XXIX(a)-BR(H)-11

540

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5704/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	